

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 594]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2020 — कार्तिक 22, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 नवम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक 8667/2929/XXI-B/C. G./2020. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग के परामर्श से, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

अनुसूची-दो में,-

(एक) कोष्टक, अंक एवं शब्द “(4) मौखिक परीक्षा - 40 अंक” का लोप किया जाये; और

(दो) शब्द एवं अंक “योग - 100 अंक” के स्थान पर, शब्द एवं अंक “योग - 60 अंक” प्रतिस्थापित किया जाये.

No. 8667 /2929/XXI-B/C. G./2020. — In exercise of the powers conferred by Article 234 read with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High Court of Chhattisgarh and Chhattisgarh Public Service Commission, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

In Schedule-II,-

- (i) the parenthesis, figures and words “(4) Viva Voce test - 40 marks” shall be omitted; and
- (ii) for the words and figure “Total - 100 marks”, the words and figure “Total - 60 marks” shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.